

11/10-08/2018

जिस दिनांक 20/11/2018 को पत्रा. ले जा चुके हैं।  
अभिलेखक मंत्र द्वारा आज कन्सेलर/कार्य  
संयोजक/सहायक के कार्यालय में  
आवेदन के माध्यम से को जा सकी। पी.ओ.सा.  
को देवी के पास/अंतर्गत पर है। अतः कन्सेलर  
द्वारा दिनांक 21/11/2018 को पत्रा. ले।

12/11/23 पत्रावली पेश की। वहील उग्रपत्र  
उपरोक्त मूलवाद के अनुसार मंत्र द्वारा  
लेख के विरुद्ध संपत्ती का न्याय  
काम में ली जा रही है। पत्रावली  
वास्तु लक्ष्य न. 1 है। दिनांक 10/2/23  
को पेश की।

सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय

10/2/23 पत्रावली पेश की। वहील उग्रपत्र  
वहील उग्रपत्र के मंत्र द्वारा पेश की गयी।  
पत्रावली वास्तु न. 1 है। दिनांक 22/2/23  
को पेश की।

सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय

22/02/23 पत्रावली वास्तु न. 1 पेश हुई। पत्रावली का  
मंत्र द्वारा ज्ञात व मूलवाद अपलोड किया गया।  
मूलवाद वास्तु की वृत्त एवं स्थान निर्दिष्ट  
देतु पेश किया गया है। मूलवाद का निस्तारण  
साइप उपरोक्त गुणागुण पर किया जाना है।  
अस्थान निर्दिष्ट है। निरु पर वास्तु आयोग  
को सेरहीत बनाए रखना आवश्यक समझते हैं।

सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय

AC-II

प्रेम देवी वनाम वायुमालक डी.ए

~~कार्यालय टिप्पणी~~

No- 08/2016

जिससे वाद वाहुल्यता न बर्दाश्त प्रारम्भ  
 का प्रा. प. न. उ. स्वीकार विषा जात  
 न्यायालय द्वारा पारित डाकुरिम आदेश  
 निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाता है अपरकोश  
 को तार्किकता ब्रह्मवायु पावेद विषा जाता  
 है की वादग्रस्त आराजीमात आसरा  
 नंबर २३५, २३५, २३२, २३५, २३२६,  
 २५५/३६२ वाके ग्राम जोनेर पलवार  
 टुल्का जोनेर मूठग्रामिण श्रेष्ठ जोनेर (स्वीत)  
 सांशाने जिला जयपुर (स्वीत वादग्रस्त आराजीमात  
 में प्रार्थना के उपमोर्ग - उपमोर्ग में वादा  
 उत्पन्न करे और ना ही किसी विधायक मूठग्राम  
 का ब्यान करे पत्रावली केसलसुमार हेफ्ट  
 दर्ज नंबर से कम होना संलग्न सूखादर है।  
 निषेध आज दिनांक २२/०२/२०२३ को सरे  
 इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
 जयपुर शहर द्वितीय